

1. बरियातु थाना कांड सख्या-255/14 दिनांक-06.07.14 धारा-147/148/149/323/324/325/326/307 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/35/27 शस्त्र अधिनियम के वादी अ0नि0 विनोद कुमार,(थाना प्रभारी, बरियातु)पे0 स्व0 राम लखन सिंह, सा0 थाना प्रभारी बरियातु जिला राँची के द्वारा समर्पित लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. लव कुश शर्मा, 2.विपीन शर्मा दोनो पिता ज्ञानी शर्मा, सा0 कुसुम बिहार कॉलोनी, रोड़ नं0- 7, थाना बरियातु जिला राँची 3.अविनाश गोस्वामी (उम्र 35 वर्ष) पे0गुलाब गोस्वामी सा0 गंगा मोटर कम्पाउंड, रातु रोड़ थाना पंडरा ओ0पी0 जिला राँची 4.अशोक लकड़ा (उम्र 27 वर्ष) पे0 स्व0 मगन लकड़ा सा0 नगडाटोली थाना लालपुर जिला राँची 5.घनश्याम ओझा उर्फ घनश्याम कपुर (उम्र 18 वर्ष) पे0-रामभिषेक कपुर, सा0 स्टाफ क्वार्टर मछली घर थाना लालपुर जिला राँची, 6.दीपक मदान (उम्र 27 वर्ष) पे0 रामचन्द्र मदान, सा0 मकसुदा थाना- निम्बर, जिला जलंधर (पंजाब) वर्तमान पता नगड़ा टोली., शिवमंदिर के समाने थाना लालपुर जिला राँची, 7.अनुज नाथ स्वर्णकार उर्फ छोटु पो0 केदारनाथ स्वर्णकार, सा0 रीभरसाईड कॉलोनी, नजदीक बिरसा मुण्डा समाधीस्थल थाना लालपुर जिला राँची, 8.संदीप मिर्धा सा0 रातु 9.राकेश जयसवाल (उम्र 22 वर्ष) पे0 भोला प्रसाद जयसवाल, सा0 सरपंचगली, आई0टी0आई0 बस स्टैण्ड बाजार, ईटकी रोड़ थाना पण्डरा ओ0 पी0 जिला राँची, 10. बिहारी उर्फ संजय उर्फ संजय बिहारी, सा0- बुटी मोड़ दीपाटोली थाना सदर जिला राँची 11.सरफराज खान सा0+थाना रातु 12.अशु शर्मा सा0 जोड़ा तालाब, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी थाना बरियातु जिला राँची 14.चन्द्र मिर्धा सा0 मस्जिद कॉलोनी मोड़ मोराबादी थाना बरियातु जिला राँची, 15.विकेश सा0 अनु चौक, विनय प्रसाद वकील के मकान में किरायेदार, थाना- बरियातु जिला राँची, 16.अमित सिंह सा0 बुटी मोड़ थाना सदर जिला राँची, 17.राज कुमार सिंह उर्फ गोलु सिंह (उम्र 23 वर्ष) पे0- गोपाल सिंह सा0 रोड़ नं0- 07 हिल एरिया बरियातु थाना बरियातु जिला राँची एवं अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लेश होकर गोली फायर कर जख्मी करने एवं जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए दर्ज कराया गया है कांड का सारांश यह है कि दिनांक-05.07.14 को सुचना मिली की कुसुम बिहार कॉलोनी में रोड़ नं0-7 में दो गुट आपस में मारपीट एवं गोलीबारी कर रहे है। उक्त सुचना का थाना दैनिकीमें प्रविष्टि करते हुए वादी अपने साथ थाना पर मौजूद पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के साथ थाना से प्रस्थान किये। घटनास्थल में पहुँचे तो देखा कि दो गुट (करीब 25-30 व्यक्ति) आपस में मारपीट, गोलीबारी, लाठी डण्डा से एक दुसरे पर प्रहार कर रहे है। दो गुट के लोगो ने पुलिस को देखते ही लाठी-डंडा, आग्नेयास्त्र, मोटरसाईकिल आदि छोड़कर भागने लगे। इस गोली बारी एवं मारपीट में लवकुश शर्मा, विपीन शर्मा, एवं अनुज नाथ शर्मा घायल हो गये थे। जिसको वादी ने ईलाज के लिए रिम्स भेजे। तथा उनका सुरक्षा मे दो पुलिसकर्मी को देखरेख के लिए भेजा गया। वादी के द्वारा घटनास्थल में भाग रहे अपराधकर्मियों को पुलिस बल के सहयोग से घेराबन्दी कर पकड़ा गया जिसमे वादी के द्वार पूछताछ करने पर अपना- अपना नाम पता क्रमश 1.अशोक लकड़ा (उम्र 27 वर्ष) पे0 स्व0 मगन लकड़ा सा0 नगडाटोली थाना लालपुर जिला राँची 2.घनश्याम ओझा उर्फ घनश्याम कपुर (उम्र 18 वर्ष) पे0-रामभिषेक कपुर, सा0 स्टाफ क्वार्टर मछली घर थाना लालपुर जिला राँची, 3.दीपक मदान (उम्र 27 वर्ष) पे0 रामचन्द्र मदान, सा0 मकसुदा थाना- निम्बर, जिला जलंधर (पंजाब) वर्तमान पता नगड़ा टोली., शिवमंदिर के समाने थाना लालपुर जिला राँची, 4.राकेश जयसवाल (उम्र 22 वर्ष) पे0 भोला प्रसाद जयसवाल, सा0 सरपंचगली, आई0टी0आई0 बस स्टैण्ड बाजार, ईटकी रोड़ थाना पण्डरा ओ0 पी0 जिला राँची 5.अविनाश गोस्वामी (उम्र 35 वर्ष) पे0गुलाब गोस्वामी सा0 गंगा मोटर कम्पाउंड, रातु रोड़ थाना पंडरा ओ0पी0 जिला राँची 6.राज कुमार सिंह उर्फ गोलु सिंह (उम्र 23 वर्ष) पे0- गोपाल सिंह सा0 रोड़ नं0- 07 हिल एरिया बरियातु थाना बरियातु जिला राँची 7.हुसैन खाना पे0स्व0 अमीर खान सा0 मस्जिद मोहल्ला, मोरहाबादी थाना बरियातु जिला राँची बताया। वादी द्वारा घटना के संबंध में पूछताछ किये जाने पर दोनो पक्षो द्वारा बताया गया कि एदलहातु मे अवस्थित जमीन को लेकर संदीप मिर्धा एवं हुसैन खान का विवाद चल रहा है। साथ ही दोनो पक्षो द्वारा एक दुसरे पर हमला करने का आरोप- प्रत्यारोप लगाये। वादी द्वारा घटनास्थल पर एक प्लसर का गाडी जे0 एच0 01 ए0एन0 1785 जिसे राकेश जाससवाल बताया गया, एक ग्लैमर का गाडी नं0- जे0 एच0 01 बी0डी0 5535 घनश्याम कपुर का बताया एवं एक फायर किया हुआ खोखा (पिलेट) एक देशी पिस्तौल, एक जिन्दा गोली के साथ लोडेड स्थिति में एक देशी पिस्तौल, एक जिन्दा गोली के साथ लोडेड (दोनो सिगल शॉट) अशोक लकड़ के पास से दो मोबाईल सीम नं 7701270802, एवं 9835161776 एवं अनुज नाथ स्वर्णकार के पास दो मोबाईल सीम तथा तथा राकेश जासवाल के पास से सीम 9504281402 लगा हुआ तथा पाँच डंडा बरामद किया।

अनुसंधानोपरान्त इस कांड मे आरोप पत्र सं०-310/14 दिनांक 31.08.2014 धारा 147/148/149/323/324/325/326/307 भा०द०वि० एवं 25(1-बी) ए/26/35/27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत कांड के प्राथमिकी अभियुक्त 1.अशोक लकड़ा (उम्र 27 वर्ष) पे० स्व० मगन लकड़ा सा० नगड़ाटोली थाना लालपुर जिला राँची 2. अनुज नाथ स्वर्णकार उर्फ छोट्टु पो० केदारनाथ स्वर्णकार, सा० रीभरसाईड कॉलोनी, नजदीक बिरसा मुण्डा समाधीस्थल थाना लालपुर जिला राँची, 3.घनश्याम ओझा उर्फ घनश्याम कपुर (उम्र 18 वर्ष) पे०-रामभिषेक कपुर, सा० स्टाफ क्वार्टर मछली घर थाना लालपुर जिला राँची, 4.दीपक मदान (उम्र 27 वर्ष) पे० रामचन्द्र मदान, सा० मकसुदा थाना- निम्बर, जिला जलंधर (पंजाब) वर्तमान पता नगड़ा टोली., शिवमंदिर के समाने थाना लालपुर जिला रांची, 5.राकेश जयसवाल (उम्र 22 वर्ष) पे० भोला प्रसाद जयसवाल, सा० सरपंचगली, आई०टी०आई० बस स्टेण्ड बाजार, ईटकी रोड थाना पण्डरा ओ० पी० जिला राँची 6.अविनाश गोस्वामी (उम्र 35 वर्ष) पे०गुलाब गोस्वामी सा० गंगा मोटर कम्पाउंड, रातु रोड थाना पडरा ओ०पी० जिला राँची 7.राज कुमार सिंह उर्फ गोलु सिंह (उम्र 23 वर्ष) पे०- गोपाल सिंह सा० रोड नं०- 07 हिल एरिया बरियातु थाना बरियातु जिला राँची 8.हुसैन खाना पे०स्व० अमीर खान सा० मस्जिद मोहल्ला, मोरहाबादी थाना बरियातु जिला राँची 9. विपीन शर्मा 10.लवकुश शर्मा दोनो पिता ज्ञानी शर्मा दोनो साकिन कुसुम बिहार रोड नं०- 7 मोरहाबादी थाना बरियातु जिला राँची एवं पुरक आरोप पत्र सं०-434/14 दिनांक 30.10.2014 के विरुद्ध प्राथमिकी अभियुक्त 11.विकास कुमार उर्फ बिकेश कुमार पे० विनय प्रसाद सा० अनु चौक मोरहाबादी थाना बरियातु जिला राँची एवं पुरक आरोप पत्र सं०-525/14 दिनांक 31.12.2014 के विरुद्ध प्राथमिकी अभियुक्त 12. संदीप मिर्धा सा०+थाना रातु जिला राँची एवं पुरक आरोप पत्र सं०-33/15 दिनांक 20.02.2015 के विरुद्ध प्राथमिकी अभियुक्त 13. चन्दन मिर्धा पे० बुधनाथ मिर्धा सा० मस्जिद गली मोरहाबादी थाना बरियातु जिला राँची, पुरक आरोप पत्र सं०-150/15 दिनांक 30.04.2015 के विरुद्ध प्राथमिकी अभियुक्त 14.बिहारी उर्फ संजय उर्फ संजय बिहारी, सा०- बुटी मोड दीपाटोली थाना सदर जिला राँची 15. अमित सिंह उर्फ वोड्डा पे० स्व० प्रदीप सिंह 16. अशु शर्मा पे० रामअनुग्रह शर्मा 17. सरफरज खान पे० सफुल असारी के विरुद्ध समर्पित किया गया।

2. बरियातु थाना कांड संख्या-257/14 दिनांक-06.07.14 धारा-147/148/149/323/ 324/341/504/ 506/ 307/386/120(बी) भा०द०वि० एवं 25(1-बी)ए/26/35/27 शस्त्र अधिनियम के वादी अनुज नाथ स्वर्णकार पे० केदारनाथ स्वर्णकार सा० रियर साईड कॉलोनी नजदीक बिरसा मुण्डा समाधीस्थल थाना लालपुर जिला राँची के द्वारा समर्पित लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1.लव कुश शर्मा, 2.विपीन शर्मा दोनो पिता ज्ञानी शर्मा, सा० कुसुम बिहार कॉलोनी, रोड नं०- 7, थाना बरियातु जिला राँची 3.अशु शर्मा सा० जोडा तालाब इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी थाना बरियातु जिला राँची 4.अमित सिंह उर्फ वोड्डा सा० श्रेया इन्कलेव रोड नं०-7 बरियातु पहाडी के नजदीक थाना बरियातु जिला राँची 5.चन्दर मिर्धा सा० मस्जिद कॉलोनी मोड मोरहाबादी थाना बरियातु जिला राँची 6.विकेश सा० अन्तु चौक, विनय प्रसाद वकील के मकान में किरायेदार, थाना- बरियातु जिला राँची 7. राज कुमार सिंह सा० श्रेया इन्कलेव रोड नं०-7 बरियातु थाना बरियातु जिला राँची 8.हुसैन खाना सा० एदलहातु हरिहर सिंह रोड मुण्डा बगीचा थाना बरियातु जिला राँची एवं 10-15 अज्ञात के विरुद्ध नाजायाज मजमा बनाकर रड से मारकर जख्मीकरने तथा पिस्टल से फायर करने का आरोप लगाते हुए दर्ज कराया गया है। कांड का सारांश यह है कि साईन्स सिटी चिरौदी मौजा भिड्डा एदलहातु मे अवस्थित जमीन को लेकर हुसैन खान एवं सदीप मिर्धा के बीच आपसी मतभेद चल रहा था। उक्त जमीन के संबंध में लवकुश शर्मा ने हुसैन खान का पक्ष लेते हुए दिनांक 04.07.14 को सदीप मिर्धा को जान से मारने की धमकी दिया। उसके बाद सदीप मिर्धा ने अपने दोस्त अनुज नाथ स्वर्णकार जो इस कांड के वादी तथा अशोक लकड़ा को दियो वादी के द्वारा अशु शर्मा को मोबाईल में सम्पर्क कर बोला की जान से मारने की धमकी क्यो देते है आपस में बैठकर बातचीत से मामले को सुलझा लगे। इस पर दोनो पक्षो समय 01:00 बजे दादा-दादी पार्क मोरहाबादी में मिले। वादी के द्वारा लवकुश शर्मा को बोला कि जाने से मारने की बात क्यो बोलता है इस पर वहाँ से लवकुश शर्मा तेजी से निकल गया। कई बार लवकुश शर्मा से बात करने के लिए मोबाईल से फोन किया गया तो वह नही उठाया। फिर समय 02:30 बजे दिन में कुसुम बिहार रोड 7 के तीन मुहानी के पास पहुँचे तो अचानक लवकुश शर्मा ने अपने विपीन शर्मा, अशु शर्मा अनुज सिंह उर्फ गोड्डा सा० सा० श्रेया इन्कलेव रोड नं०-7 बरियातु पहाडी के नजदीक थाना बरियातु जिला राँची, चन्दर मिर्धा .विकेश, अमित सिंह सा० बुटी मोड राजकुमार सिंह उर्फ गोलु सिंह तथा अन्य 15-20 व्यक्ति के साथ हरवे हथियार अन्तु चौक, विनय प्रसाद वकील के मकान में किरायेदार, थाना- बरियातु जिला राँची लाठी डण्डा रड चाकु पिस्टल सिगल शॉट पिस्टल बैगरह से लैस होकर वादी एवं उनके साथियो को घेर कर गोली